



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2015/28003-252

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	2315.81 ÷ 6 = 385.96 (386)

तथा इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)-1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संशुद्ध की गई हैं। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विकरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वै./पांच/2015/28.003-252 दिनांक 25-09-2023 के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के उपर (386-379)= 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (25X07)= 175/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-241) = 145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (25X145)= 3625/-प्रतिमाह या (3625÷26) रुपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-253)= 133 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X133)= 3325/-प्रतिमाह या (3325÷26) रुपये 127.88 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भागी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

अनुसूची - अ


67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (ऑफ़ेड रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	अर्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	कुशल	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

स्पष्टीकरण -

- (1) 4-अद्वैती निर्धारण से वैसे तथा रूपये के गुणाकों को 1/3000-अघ करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। विल्व विभाग के परिपत्र क्र. एक.9-7/2006/दियम/घार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक वैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। विशेष टिप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देव होगा अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई काटेंगी नहीं की जा सकेगी।
- (2) मनुशुल श्रमिकों के लिए दर्याई गई वेतन दरों पर लेकर व्यूरो विद्यमानता द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रिबल भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के अन्तर्गत अंकनों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षण दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उससे कमकम नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-द))

टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के भूतगत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।


(श्रीकांत बनोट)
शुक्रगुरुवार,
मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट - अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन विधमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास जिन्निंग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी दान तगाने तथा दान उपज में नियोजन	
3	किसी मार्गों के निर्माण या समझाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्य के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिस्टल तथा फार्मास्यूटिकल में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चावल मिल वा आटा मिल वा दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुर्गा पोख निर्माणी में नियोजन	
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईमकेंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने वा पत्थर पिछने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, अध्यात्मिक होटल, रेस्टारंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी क्यूएन कोक में नियोजन	
19	किसी घूना भट्टे में नियोजन	
20	किसी इट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पावरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी शाण्डकारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेलिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स वा छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फर्नेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सैरामिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन	
26	किसी कच्चा निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी हल्ट, पब्लिक निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी कच्चा उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेहू के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बेलमिल में नियोजन	
32	किसी टाईल्स जिसमें मेगलोर टाईल्स, अलासबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित कर गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य परिधि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी पायरोट अस्पताल जिसमें परामर्श कन्ट तथा विकृति विज्ञान (पैथोलॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट सैलरिज संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी बटाल जैसे कंपक, मुरम, सेट्टाईट, बेल्टन, गायन शिंगडा, साधारण रेली, बिल्डिंग स्टोन, रोक मेटल, अथ कुलम, अथ और लाईम स्टोन तथा अन्य बटाल जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाखा एवं मरम्मत हेतु संचालित मॉरेजेस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटर्स में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसयाली या किसी अन्योहनयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या म्यूटी फार्मर में नियोजन
50	किसी ड्रॉरक या पेस्ट्रीनाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी इल्लिंग प्रचालन या टयूबवैल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कवच तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी छटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अंधार, बही, पापक तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ परामर्शकारण में नियोजन
68	किसी ट्याइयों एवं अन्य वस्तुओं के प्रिक्रय सवधान कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रायोगिकी कार्य में नियोजन

भाग - दो

कृषि में नियोजन



(श्री.अनंत बनोट)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर


स्पष्टीकरण

1. इस अधिमूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, यह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ इठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंध-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के वायद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तत्कालिक रूप में आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसी कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जायेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पातन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सैद्धान्तिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दर देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


 (श्रीकांत बहोट)
 श्रम आयुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिक्षु, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/ प्यून/ भूत्य, चौकीदार, आईन डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्टिस-मेन, गेटकीपर, ट्रौली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमेन, छेड़ेवाला, सिलाई ओपनिंग, ड्रिपिंग कर्ये करने वाला, घरकास, कांजी स्वउस मेन, लायसेंस वेंडर, बालबाड़ी आया, गाम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्लांट पर पानी पिलाने वाला, रोलफटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालनेवाला), गली वेग फिलर, निटकरियर, क्वेटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फिडर, झाड़ूवाला, बोड़ेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाष देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नमूनी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, छोड़े सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, कार्टिंग लेफ्ट फीकर, बोरी भराई, छ्वाड़े, दुलाई, वेगन लदाई या खानी कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वर्कशॉप, मैक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वाई सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटस (किलन्स), वाटर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड़डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, पेस का काम करने वाला, लोण्डीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूथना, पापड बनाने का कार्य, वेतबोय, वेटर, स्पम अटेंडेंट, धागा कटिंग, चैकिंग, बाटल एग डिप्टी की सफाई धुलाई वाला, लिफटर, सफाई कमगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कागंधट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफाई वाला, टाईन टर्नर, पेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरर, सहायक मिन्त्री, लार्डमेन, सहायक बिजली मिन्त्री, सहायक ऑपरेटर-वाटर चकर्स, कौबसर, हफ प्रेसमेन, विल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक यन्त्रनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पेंटिंग मेकर, सहायक गौसर, सहायक आईसर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिपालक, जांच करने वाला निरीक्षक, चालमेन, फायरमेन, लिफिण, पम्प अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, कचेरीमेन, क्लबटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बॉटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, सेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एकसपेलेर मेन, मशीन अटेंडेंट, विल क्लेक्टर, विल क्लर्क, रिवाइन्डर, युथिंग सहायक सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक हेल्समेन, मसालापी, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गुंथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, अट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलेर, स्टीपर फोलेर, हेडफोलेर, क्वटाफोलेर, गांछवाला, सहायक जोकर, सहायक सचिव, जनण्ड पचायत/ ग्राम पचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से टिक्सट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, क्लाइ कर्मचारी, इन क्लाइ कार्य के कतिने, कटर होजियरी, थीपर, सहायक पैल ऑपरेटर, सहायक सार्टर, मुशी, फार्मैसी असिस्टेंट, एकसरे असिस्टेंट, ई.सी.जी असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफटमेन, सहायक सिन्क्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट इंसुरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, ड्रिपिंगवान्सा, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शोप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मेकसमूलर, किलन्स श्रमिक, बनेजर पैल

मित, क्रिकेशन, फिलान्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक ब्रेन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, ब्रेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शूटर, सहायक मशीनमेन, विथी सहायक, सूत सूटोक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, ड्रकन सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक क्वेच, सहायक माली, सहायक कुक, युकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पकिंग याले, लेअर मेन, शर्ट के पाले बिलाने वाला, लूपस टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश याला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माडयूसर सह आर्टिस्ट, बर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, येक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल -

गोताखोर, शोवेल एण्ड केन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसिन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केकिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलेर मास्टर, एकाइस्टेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, वॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, इम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, पाल्क(भारी वाहन), औटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, बाइन्डर, मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरपी, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, क्वरीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर पक्स, उपयंत्री बिजली, घाघनालव संयोजक, सिलियर गाई, फायरमेन, फिन्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मूनीम, वुड पॉलिशर, सोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, रत्नेकस्मिथ, शेपर, यन्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पेंटनेमेकर, हेमरमेन, ग्रासर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन शोयल, वेल्सिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैद्यमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेरर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, दूल्स इंचार्ज, लेय मशिनिस्ट, कन्स्ट्रुइ इंचार्ज, कन्प्रेसर ऑपरेटर, लोण्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिंथेयुरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मेकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वाइन्), टजी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, योन्कशर, घरखा चालक, मास्टर (क्वरीगर), जैकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखपाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्केपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेकनीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलेर ऑपरेटर, पॉलिशर, दूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक कम ऑपरेटर, वंडर्स, पेटस मेकेनिक कम ऑपरेटर, सधैतनिक सचिव, सैल्समेन, आउट सिंथेयुरिटी गाई, बाइन्डर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, क्वेच, डायटिशियन, असाजर, केप्टन, वारमेन, स्ट्यूडेंट, वेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी क्वरीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट ऑपरेटर, टाय मेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाइजर, डाटा एट्टी ऑपरेटर, असाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाइजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईस्को इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलाॅजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टेलीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साईन्टिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -**उच्च कुशल -**

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेन्ट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मैन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमैन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथरब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनरएयर, ड्रायफ्लरएयर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमैन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाइपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमैन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमैनएयर, गिलेटिन ऑपरेटर, रियाइन्डर स्ट्रीचर, मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिटिंग मशीनमैन, रुलिंग मशीन मैन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सरीनर, यॉक्सोन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, बेमर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कोपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटो प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फॉल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, वाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्चहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपसेटर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफॉरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्राययर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ट्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोथारमेन, रिटेल सप्लायर फिडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर फीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी थिन्कर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेन्पर बाइंडिंग थायलर क्लीनर, मजदूर आक्विजलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, थायलर अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग थाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटो प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।


(श्रीकान्त बनोट)

श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ४

बिस्वी एलेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंड्याई अन्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंड्याई अन्ता		कुल वेतन		रुपये में रउएअए कर इंटिक दर		रुपये में रउएअए कर इंटिक दर							
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन								
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	321	मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	391	काम, पढ़ाई पंजाब, संसार	6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	मुनीय, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9522	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499	शैल्स, क्लर्क परफॉर्मर्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उपच सुपंत	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523	उपचर्य	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

स्पष्टीकरण -

- 1-मजदूरी निर्माण में वैसे तथा रुपये के गुणकों को रउएअए करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। विल्ट विभाग के परिपत्र अ. एक.9-7/2006/नियम/पार. दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50%से अथवा इससे अधिक पैसे तो लो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जायेगा और 50%से से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 2-अकुशल श्रमिकों के लिए दसाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिबला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अक्सि भारतीय उपमहाका मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर अणप्रति है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 सचद्वार, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबन्धु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंड्याई अन्ता घोषित किया जायेगा।
- 3- इस प्रकार अधिभूयित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयत्न किसी भी वर्गचारी पर पतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा. यदि किसमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वर किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं से जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


(आंकड़ें रुपये में)

प्रमाण्युक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर


अनुसूची - क

मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः शामिल है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः		कुल वेतन	रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन			परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः			कुल वेतन	रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन				प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322	अकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
7057	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	अर्द्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
8435	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396	कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
9735	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440	उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

स्पष्टीकरण -

- 1) मजदूरी निर्धारण में वेतन तथा रूपये के गुणावर्धन को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे से तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकियत किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- 2) मजदूर श्रमिकों के लिए दर्याई गई वेतन दरों पर लेकर रूपांतरित शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के अन्तर्गत संकज्ञो के प्रोसेस पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः घोषित किया जायेगा।
- 3) इस प्रकार परिष्कृत न्यूनतम वेतन की दरों का ध्यर्तन किसी भी कर्मचारी पर पत्रिकाल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)


(श्रीकान्त वरार)

श्रीकान्त वरार,

मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्व/पांच/2015/ 28253-502


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावी न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रायत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया। माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2023	1170
फरवरी, 2023	1171
मार्च, 2023	1175
अप्रैल, 2023	1180
मई, 2023	1186
जून, 2023	1196
औसत सूचकांक	7068 ÷ 6 = 1179.67 (1180)

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(ख)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(श्रीकांत बनौठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 1.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सीलरह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वै./पांघ/2015/28253-502 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छः माहों का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के उपर (1180-1152) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (6x28) = 168/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1180-768) = 412 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (412x6) = 2472/- प्रतिमाह या (2472÷30) रुपये 82.40 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2472 = रुपये 7822/- तथा 7822+30 = रुपये 260.73 (राउण्ड-अप रुपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

अनुसूची - ६

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः सम्मिलित है (आंशिक रूपों में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः		कुल वेतन		स्पष्ट में राउडअप कर दैनिक दर	न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः		कुल वेतन	स्पष्ट में राउडअप कर दैनिक दर				
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन		
5350	178.33	2304	76.80	255.13	255	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261		
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक														
श्रमिकों का वर्ग														
कृषि श्रमिक														

स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः :-

(1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः, जो नंबर व्यूरो शिक्षा द्वारा निर्मित अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87-100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के रूप में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबन्धु प्रतिमाह रुपये 6/- (छ. रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देव परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देव परिवर्तनशील मंहगाई अन्तः की गणना गत जनवरी से जून तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त मध्य प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी।


(2) मजदूरी निर्धारण में वैसे तथा रुपये के गुणकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक ऐसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयत्न किसी भी कर्मचारी पर प्रतिस्तर प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीकित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी देश में कम नहीं की जाएगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान निश्चित हैं।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिष्कृत किए अनुसार विनाम दिया के संघ में पारिभाषिक सम्मिलित हैं।


(श्रीकांत खोसला)
श्रीमानुसूची,

मध्य प्रदेश, इंदौर

अभ्यायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/10869-11118

इंदौर, दिनांक 31/03/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अभ्यायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, अन्न विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/18-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यावोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपरोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, दिल्ली से ज्ञात कर, पी डी वीरेन्द्र सिंह शर्मा, अभ्यायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकटित करता हूँ :-

माह/ वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीडी उपभक्ति मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1981=100)
1 जनवरी, 2022	8223.90
2 फरवरी	8217.32
3 मार्च	8283.06
4 अप्रैल	8394.82
5 मई	8480.28
6 जून	8493.43
7 जुलाई	8539.44
8 अगस्त	8559.18
9 सितम्बर	8631.48
10 अक्टूबर	8710.36
11 नवम्बर	8710.36
12 दिसम्बर, 2022	8697.22
औसत	$101940.83 \div 12 = 8495.06$ औसत (8495)

उक्त सूचकांकानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता हूँ। जो कि किसी श्रेणी (जिसमें बीडी वर्ग भी शामिल है) के निर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एक्वेजि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर अन्न विभागीय एच अन्न विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (निप्र राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकटित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनीय महगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक देय रहेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह शर्मा)

अन्न अभ्यायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संघर्ष में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-18-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) को अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरो को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है। जो दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पाच/15/10.869-11118 दिनांक 31-03-23 के अनुसार जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8495 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (8495-5299=3196 पाइंट) 3196 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मात्र से रुपये 3196 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

: किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	31.96	रु. 105.96 चिरों सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से बन हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बतई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जाएगा

नोट- एक हजार बीड़ी रोलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में भगत भुगतान 6 रुपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) दर प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस प्रकार देय राशि में से श्रमिकों को एक नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.20 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी रोलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

2. रिलाई अभिक

अ. बीडी के कट्टों पर डिस्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा फुडो को बनाने का चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 84.35
2. यदि कट्टों पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 56.28 प्रति 1000 कट्टों पर	रु 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 88.22

ब. डिस्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. डिस्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 77.91
2. डिस्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु 23.97 (03 पैसे प्रति बार हजार)	रुपये 57.51
3. लेबल लगाना	रुपये 12.04 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु 7.99 (02 पैसे प्रति 1000 हजार)	रुपये 20.63
4. पूजा संस्कारों का विधाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु 7.99 (02 पैसे प्रति एक हजार)	रुपये 21.24


स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीडी पर	रु 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 320.48
2. डिस्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.49 प्रति एक लाख बीडी पर	रु 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 341.33
3. डिस्ली तथा नक्ली डिस्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रु 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 341.43

नोट - बीडी विभाग के संबंध में देशिक का मासिक दर हो वेतन वाले वाले कर्मचारियों जैसे बीडी लगाने वाले का करने वाले लष्कर मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाले, अट्टी वाले समोईया, हाथपर (भांगे) वाले, बकम एक सप्लेट मुनीम वीथियर, गोंडाचरकीपर, सुपरकीपर लाईविंग, मिलमन, सक्क पुरम, खोपेव से के के-स्युलाम कनर अस्थिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित सुकल, अर्जिटुशल और कसुराल शोषो के अंतर्गत के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- द्वायवर (चावलक) (गरी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टांश्रीयर हंडव्कलक, गॉड्डाउन कीपर
- 2- अर्धकुशल:- बीड़ी छटने तथा जांच करने वाला, गट्टीवाला, रसाइया, इम्हवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क



(श्री. वीरेंद्र सिंह रावत)

अम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर


तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages + Bonus+PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	131.66
8.	Total Wages + Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40


 (Dr. Virendra Singh Rawat)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्व/पंच/2015/ 28503-750


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर इयूरो, शिमला से प्राप्त कर में, श्रीकांत बनोट, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता है :-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी, 2023	382.46
2	फरवरी, 2023	382.18
3	मार्च, 2023	383.90
4	अप्रैल, 2023	386.50
5	मई, 2023	387.94
6	जून, 2023	392.83
	औसत सूचकांक	2315 ÷ 6 = 385.97 (386)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्व्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दायरे से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।


(श्रीकांत बनोट)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में दिवसणात्मक दीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/ 28.503-750 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माहों का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-379) = 07 पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25x07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-239=147 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25x147) रुपये 3675/- प्रतिमाह अथवा (3675+26)= रुपये 175/-प्रतिदिन) प्रतिमाह 8750 रुपये या 8750+26= 336 रुपये 54 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंद्गाई शर्तों
सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार देय है :-

(आंपडे रुपये में)


क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये राउंड अथ में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा लेन्दूपत्ता देने या बीडियां प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्राइवर(घाबका) इत्के वाहन, टायफिन्ट, क्लर्क बिलमेन	5075	195.19	3675	141.35	8750	336.54	337
2	दुक में माल घटाने या उतारने या बीडियां के एडों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, मून्थ, चौकीदार	4945	190.19	3675	141.35	8620	331.54	332
3	ड्राइवर (घाबका) आरी वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुलीम, फेशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	5225	200.96	3675	141.35	8900	342.31	342

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांक को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। पित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-7/2006/ नियम/वार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे ह्ये तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का पवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का पवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्टम्भ तीन में लेबर व्यूरी शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अधिल भारतीय उपरोक्ता मून्थ सूचकांक 5635(2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक

के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुषंग में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई वह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जायेगी। एक जनवरी से दस परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- 6- जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या दुर्घटा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- आग, विपत्ति, महामारी, अर्सेनिक होम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(श्रीकांत बनोट)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्य/पांच/2015/ 28751-999

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023


अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त कर, में डॉ.वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	$2315 \div 6 = 385.97$ (386)

तथा विगत छःमाहों का औसत 386 घोषित करता है, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्याह व्यव सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


(श्रीकांत खटु)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील-मंहगाई भत्ते की संरचना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-संवह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, अंध्रप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्य/पांच/2015 / ~~20751~~ 999 दिनांक 29/09/2023 के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (386-379) = 07 पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25X07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (200=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-241=145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये 25X145=3625 प्रतिमाह या 3625+26=139 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 175 पर (145+4=36.25) रुपये 36.25 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40.	रु. 36.25 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 57.65
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	22.00	रु. 36.25 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 58.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो यह किसी भी दरों में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अग्ररत्नी गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेंकेट में भरकर पेंकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पेंकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 49.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 63.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.43
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 99.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 125.26

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 80.85

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 82.33
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.88
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 123.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 126.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अंगरबतियों को गिनकर दिल्ली तपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिरोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिरोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 16.98	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 41.63
2. 12 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 42.45
3. 23 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.30
4. 50 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 51.19
5. 100 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
6. 200 अंगरबती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 64.95

(ई) सादे लिफाफे में अंगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5 अंगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 3.85	रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 9.65
2. 10 अंगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 4.44	रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 11.69
3. पुंगली बनावे के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकड़ा रु. 36.34	रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 46.49

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यून वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्डअप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुझ बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	5939	228.42	3625	139.42	9564	367.85	368
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला लौलने वाला.	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
3	एकाउन्टेर, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464

नोट - अगरवर्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला लौलने वाला, एकाउन्टेर, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -


1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इनसे इसके पश्चात सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25 00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ माही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील महगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विजाम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(श्रीकान्त बहोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/अन्ये./पांच/2015/ 29000-250

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

स.प.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अधिलक्ष भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून, 2023 की छः माहों का औसत सूचकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण माह छः माहों में मान्य किये गये अधिलक्ष भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (379) के उपर (386-379) = 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेंगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
अर्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
कुशल	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पैविलियन निर्माण शाला में नियोजनों

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3625	139.42	13330	397.31	397
मुनीम, लेखाकर, क्लर्क आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
मस्ती	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

अनुसूची - स

किसी मुख्यालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कार्यधारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
सिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512
श्रेणी दो	9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500
श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
उर्ध्व कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411

अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कार्यधारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
उर्ध्वकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून 2023 ई. माहों का कृषि श्रमिक उपभोग्यता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 ई. इसके पूर्व की छः माहों का औसत 1152 था, जिसके कारण 28 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 से 31.3.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - इ (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को ग्रान्स पेटे 9 रुपये 27 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में तगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि गारद निबोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं निबोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर मत छ:माही में औसत सूचकांक 379 के उपर औसत 07 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-


अनुसूची - एक (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलरी (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	21.40	रु. 36.25	रुपये 57.65
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	22.00	रु 36.25	रुपये 58.25

स्पष्टीकरण - 1- म.प.न्यूनतम वेतन सवाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से वारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाको को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसंध प्रतिदिन रुपये से राउण्डअप कर दैनिक दरे निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एक 9-79-7/2006/नियम/चार, दि 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे ह तो, उन्हें अगर उच्चतर रुपये में पूर्णपिल किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुराल श्रमिकों के मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञापि

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2023 से रुपये 175.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की जाती है, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 386 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपर 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 7 = 175.00$ रुपये (एक सौ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3625/- प्रतिमाह अथवा रुपये 139.42 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9825/- या प्रतिदिन रुपये 377.88, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10682/- या प्रतिदिन रुपये 410.85, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12060/- या प्रतिदिन रुपये 463.85 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13360/- या प्रतिदिन रुपये 514.00 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (1180-1152) * 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 168/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7822/- या प्रतिदिन रुपये 260.73 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक के लिए देय होगी।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बॉन्स पेंटे रुपये 9.27 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में लकड़ भुगतान रुपये 05.30 पैसे (5%), एवं अविष्य निधि काबड नियोजक का अंशदान रुपये 11.13 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 131.65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का अविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.13 पैसे एवं अविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 109.40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाही का औसत 386 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 379 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-241) 145 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-379) औसत 07 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 57.65 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रुपये 58.25 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्वीकृतिकरण -


- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/घार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्य/पाघ/2015/ 29251-53
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

1. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सम्मन्त दैनिक समाचार पत्रों में ति:शुल्क प्रकाशनार्थ पेषित।
2. अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर पसारण हेतु पेषित।


(श्रीकांत यदोठ)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्य/पांच/2015/ 29254-500


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आ/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन ससाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यात्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, तर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, पथन एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप निबंधक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप सचिव, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- सचिव, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यात्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप कम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक/समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक कम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त कम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, क्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंडसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश कम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक क्वयचासि हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिलों में पदस्थ कम निरीक्षण को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


 (श्रीकांत बहोट)
 क्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कमांक 1/11/अन्व/पांच/2015/ 23501-750


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हरजिन लेब इन्दौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजकों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(श्रीकान्त बघाठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर